लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1463
09 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र उत्पादों को बढ़ावा

1463. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्रीमती भारती पारधी:
श्री नरेश गणपत म्हस्के:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में वस्त्र और परिधान उद्योग के उत्पादन, निर्यात, रोजगार सृजन और राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान सहित वर्तमान स्थिति का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों में हथकरघा, हस्तशिल्प और विद्युतकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के वस्त्र क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने, वस्त्र इकाइयों के आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन के लिए कोई योजना शुरू की है या शुरू करने का विचार है;

(घ) महाराष्ट्र के वस्त्र उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ावा देने तथा उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए कौन से उपाय किए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार के पास महाराष्ट्र में वस्त्र उद्योग के सतत विकास, उचित वेतन और पर्यावरणीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक रणनीति है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क): जी, हाँ। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) 2023-24 के अनुसार, राज्य में 1,938 वस्त्र और अपैरल कारखाने चल रहे हैं, जिनमें स्पिनिंग, वीविंग, फिनिशिंग, वस्त्र निर्माण, निटेड अपैरल और मैन-मेड फाइबर जैसे मुख्य क्षेत्र में 2,10,588 लोग काम करते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान हस्तशिल्प सहित वस्त्र और अपैरल निर्यात में महाराष्ट्र राज्य का योगदान 3,971 मिलियन अमरीकी डॉलर था (सोर्स: डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ़ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स)।

(ख) से (घ): हथकरघा, हस्तशिल्प और पावरलूम क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना, राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम, व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना, व्यापक पावरलूम क्लस्टर विकास योजना (सीपीसीडीएस), एकीकृत वस्त्र पार्कों के लिए योजना, प्रधानमंत्री - मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क (पीएम-मित्र) योजना और उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसी विभिन्न योजनाएं महाराष्ट्र राज्य सहित पूरे देश में लागू कर रहा है ताकि कच्ची सामग्री, डिजाइन विकास, कौशल उन्नयन, क्लस्टर विकास और विपणन के लिए शुरू से अंत तक समर्थन प्रदान किया जा सके।

कौशल विकास को बढ़ाने, वस्त्र इकाइयों के आधुनिकीकरण और वस्त्र मूल्य श्रृंखला में तकनीकी उन्नयन के लिए, सरकार विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है, जैसे वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना (समर्थ), संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) और राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम), जो महाराष्ट्र राज्य सहित पूरे देश में कुशल मैनपावर तैयार करने, इनोवेशन को बढ़ावा देने और उन्नत तकनीकी अपनाने को बढ़ावा देने पर फोकस करती हैं।

घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्त्र क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा को बेहतर बनाने के लिए, सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं, जैसे कपास पर आयात शुल्क में छूट, जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाना, आरओएससीटीएल और आरओडीटीईपी को लागू करना और विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते करना।

(ङ): सरकार उत्पादकता बढ़ाने, निवेश को बढ़ावा देने, पर्यावरणीय अनुपालन को मज़बूत करने और महिलाओं और पिछड़े समुदायों के लिए समान रोज़गार के मौके बढ़ाने के मकसद से वस्त्र क्षेत्र के स्थायी और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा, सरकार ने ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड साइट्स में 7 (सात) पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्र) पार्क बनाने को मंज़ूरी दी है। पीएम मित्र पार्क्स का मकसद यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 ("मज़बूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइज़ेशन को बढ़ावा देना और नवाचार को बढ़ावा देना") प्राप्त करने में मदद करना है।
